— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर।

दिनांक 31.05.2021

थाना को0देहात व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अपमिश्रित देशी शराब के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार—

अवैध शराब के विरुद्ध जनपद में जारी विशेष अभियान के तहत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण, स्टाक की चेकिंग सहित अवैध शराब के निर्माण एवं ब्रिक्री करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 30.05.2021 को प्र0नि0 विजय कुमार चौरसिया थाना को0देहात व आबकारी निरीक्षक पुष्पेन्द्र कुमार की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम अर्जुनपुर पीपरहिया स्थित सरकारी देशी शराब के ठेके को सघनता से चेक करने पर 40 शीशी/200ml में अपमिश्रित अवैध देशी शराब, 140 अदद नकली क्यूआर कोड, 110 अदद खाली शीशी, 101 अदद ढक्कन, 40 ली0 अपमिश्रित स्प्रिट एवं 25 पेटी वैध शराब बरामद करते हुए ठेके के अन्दर बैठे तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जिन्होने पूछताछ में अपना नाम पता क्रमशः गोपाल जायसवाल पुत्र स्व0 श्रीनाथ जायसवाल, विवेक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक गुप्ता निवासीगण रतनगंज थाना को0कटरा मीरजापुर व रामचन्द्र जायसवाल पुत्र पारसनाथ जायसवाल निवासी मोर्चाघर सिविल लाइन थाना को0शहर मीरजापुर बताया। उक्त अवैध बरामदगी के सम्बन्ध में हिरासत में लिए गए विक्रेता गोपाल जायसवाल व विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि लाइसेंसी शराब की दुकान लाल साहब शुक्ला पुत्र स्व0 विजय शंकर निवासी नगवासी पोस्ट दुगौली मीरजापुर की है। जिनके द्वारा नकली क्यूआर कोड, अपमिश्रित स्प्रिट और ढक्कन इत्यादि लाकर हमे दिया जाता है। जिसका प्रयोग कर हम लोग रामचन्द्र जायसवाल की मदद से अवैध अपमिश्रित शराब तैयार कर बेचने का कार्य करते है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर आबकारी अधिनियम का अभियोग भा0द0वि0 की अन्य सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1-गोपाल जायसवाल पुत्र स्व0 श्रीनाथ जायसवाल निवासी रतनगंज थाना को0कटरा मीरजापुर।

2-विवेक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 अशोक गुप्ता निवासी रतनगंज थाना को0कटरा मीरजापुर।

3-रामचन्द्र जायसवाल पुत्र पारसनाथ जायसवाल निवासी मोर्चाघर सिविल लाइन थाना को0शहर मीरजापुर।

विवरण बरामदगी—

40 शीशी/200ml में अपमिश्रित अवैध देशी शराब, 140 अदद नकली क्यूआर कोड, 110 अदद खाली शीशी, 101 अदद ढक्कन, 40 ली0 अपमिश्रित स्प्रिट एवं 25 पेटी वैध शराब।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय—

अर्जुनपुर पीपरहिया से, दिनांक 30.05.2021 को समय 18.30 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम—

थाना को0देहात-

1-प्र0नि0 विजय कुमार चौरसिया

2-व0उ0नि0 सुनील कुमार

3-का0 रवि शंकर यादव

4-का0 श्यामदास अनुरागी

5-का0 नवीन कुमार यादव

आबकारी टीम-

1-नि0 पुष्पेन्द्र कुमार

2-प्रधान आरक्षी राजबहादुर

3-आरक्षी संजय केशरवानी